न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–02,फतेहपुर।
प्रकीर्ण दीवानी संख्या– 27/74/2022
श्रीमती शाहजहां बेगम आदि बनाम वसीम अहमद आदि।

दिनांक– 14.07.2025

प्रार्थना पत्र 4क2 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण श्रीमती शाहजहां, मोहम्मद सगीर, मोहम्मद जहीर व मोहम्मद जुबैर द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की निगरानी उपरोक्त माननीय अदालत में दिनांक 30.10.2021 को निस्तारण हेतु लगी हुई थी, उसकी पैरवी प्रार्थीगण की तरफ से प्रार्थिनी श्रीमती शाहजहाँ बेगम करती रही। उसके दौरान प्रार्थीगण दीगर जनपदों में अस्थाई निवास कर रहे थे, जिससे वे निगरानी उपरोक्त की पैरवी करनें में असमर्थ हो गये थे। उन्हें प्रार्थिनी श्रीमती शाहजहाँ बेगम ने विश्वास दिलाया था कि वह सभी प्रार्थीगण की तरफ से निगरानी उपरोक्त की पैरवी करती रहेगी। वह अचानक दिनांक 2.10.2021 को कोराना काल में बीमार हो गयी थी, जिससे वह निगरानी उपरोक्त की पैरवी करने दिनांक 30.10.2021 को माननीय अदालत नही आ सकी और न ही अन्य प्रार्थीगण को ही अपनी बीमारी की वजह से निगरानी उपरोक्त की पैरवी करने में असमर्थ हो जाने की जानकारी अपने अधिवक्ता महोदय को ही करा सकी। उसको यही विश्वास रहा कि उसके अधिवक्ता महोदय उक्त निगरानी की पैरवी कर रहे होंगे, परन्तु उनका निधन हो गया था। उसकी भी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं रही उनको निगरानी उपरोक्त के उक्त खारिजा आदेश दिनांकी 30.10.2021 ई0 की अव्वलन जानकारी प्रार्थीगण दिनांकी 08.07.2022 को हुई, जबकि प्रार्थीगण के नवनियुक्त अधिवक्ता महोदय ने निगरानी उपरोक्त के मूल वाद संख्या 524 सन 2006 की पत्रावली में वकालतनामा दाखिल किया व उसका अवलोकन किया। उसमें दाखिल निगरानी उपरोक्त की उक्त खारिजा आदेश की कार्बन प्रति को पढ़ा व प्रार्थीगण को बताया इसके पूर्व प्रार्थीगण को निगरानी उपरोक्त के उक्त खारिजा आदेश दिनांकी 30.10.2021 ई० की जानकारी नहीं रही। प्रार्थीगण ने उक्त निगरानी खारिजा आदेश दिनांकी 30.10.2021 ई० को रिकाल कर निरस्त कराने व उसे हस्ब साबिक वाजबे नम्बर कायम किये जाने व उसे गुण दोष पर निर्णीत किये जाने हेतु उक्त प्रकीर्ण वाद दिनांक 12.07.2022 ई० को योजित किया है, जो जानकारी के लिहाज से समय के अन्दर है। यदि किन्हीं कारणवश अथवा राय अदालत प्रार्थीगण का उक्त प्रकीर्ण वाद समय के अन्दर योजित किया हुआ न पाया जावे, तो उसे योजित करनें में उक्त कारणों से हुई देरी दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत माफ किया जाना बगरज इन्साफ आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से यदि किन्हीं कारणवश अथवा राय अदालत प्रार्थीगण का उक्त प्रकीर्ण वाद मियादबाहर योजित किया हुआ पाया जावे, तो उसको योजित करने में उक्त कारणों से हुई देरी दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने व उक्त प्रकीर्ण वाद गुण दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by POOJA VISHWAKARMA
Date: 2026.07.14 14:44:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गई है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 30.10.2021 को पारित किया गया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थनापत्र दिनांक 12.07.2022 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र परिसीमा अवधि के लगभग 8 महीने 12 दिन पश्चात् प्रस्तुत किया गया है , तथा प्रार्थीगण ने समय से अपील प्रस्तुत न कर पाने का कारण प्रार्थिनी श्रीमती शाहजहाँ बेगम की मृत्यु हो जाना एवं उसकी जानकारी प्रार्थीगण को न होना बताया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि विश्वसनीय है। न्याय की मंशा है कि वाद का निस्तारण उभयपक्ष को सुनवाई का सम्यक अवसर देकर गुणदोष पर किया जाए। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 4 क 2 अंतर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा सिविल अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर के समक्ष दिनांक–24.07.2026 को प्रस्तुत हो।

दिनांक–14.07.2026

(पूजा विश्वकर्मा)
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–02, फतेहपुर।